न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 03/9/2021

तारीख दायरा : 22.12.2021

उनवान

1. बनवारी पुत्र स्व0 भैरू जाति माली निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर

.....प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. तहसीलदार साहब रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)

उपस्थित – श्री सुनिल शर्मा एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय ::

दिनांक : 02.09.2022

प्रार्थी की ओर स प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता भैरू के कब्जें–काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खाता संख्या 67 आराजी खसरा नम्बर 1348/0.15, 1349/0.45 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0, खाता संख्या 203 आराजी खसरा नम्बर 1346/0.43, 1347/0.32 कुल किता 2 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम डरा तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी का भैरू 1/5 हिस्से का काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वर्तमान में प्रार्थी के पिता भैरू का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त आराजी की जमाबन्दी में प्रार्थी के दादा अर्थात भैरू के पिता का नाम गिरधारी क स्थान पर सम्पता दर्ज है। जिस आराजी के सम्वत 2046 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 384 थे। साबिक खसरा नम्बर 384 की जमाबन्दी सम्वत 2039 के अनुसार प्रार्थी के दादा का वास्तविक नाम गिरधारी दर्ज है किन्तु हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के दादा का नाम सहवन से सम्पता दर्ज हो गया, जो गलत नाम ही बदस्तूर दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता भैरू की खातेदारी की अन्य आराजी खसरा नम्बर 1314, 1315, 1319, 1320 में भैरू के पिता का नाम गिरधारी दर्ज है। भैरू के पिता का नाम गिरधारी ही भैरू के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। प्रार्थी के पिता भैरू के स्वर्गवास के पश्चात उनकी विरासत का इन्तकाल उनके वारिसान के पक्ष में दर्ज होना था किन्तु प्रार्थी के दादा का नाम गिरधारी के स्थान पर सम्पता दर्ज होने के कारण उक्त आराजी का इन्तकाल प्रार्थी व उसके भाईयों के पक्ष में दर्ज नही हो सका है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी

के दादा का नाम सम्पता के स्थान पर गिरधारी दर्ज किया जाना सर्वथा न्यायोचित है। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम सम्पता के स्थान पर गिरधारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई है। पटवारी हल्का डेरा एवं तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के दादा का नाम गिरधारी सही दर्ज है। इसी प्रकार अन्य खातों में भी प्रार्थी के दादा जी का नाम गिरधारी दर्ज है जो कि सही है। परन्तु खसरा 1346, 1347, 1348, 1349 में प्रार्थी के दादा का नाम सम्पता दर्ज है जो कि गलत है जबकि साबिक जमाबन्दी सम्वत 2039 में प्रार्थी के दादा का नाम गिरधारी ही है जो कि सही है। अतः प्रार्थी के दादा का नाम साबिक जमाबन्दी के मुताबिक उपरोक्त खसरा नम्बरान में गिरधारी ही दर्ज करना उचित होगा।"

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी खाता संख्या 67, 203, 28, 27 एवं जमाबन्दी सम्वत 2039 साबिक खसरा नम्बर 384, मिलान क्षेत्रफल 2046–2065 वाके ग्राम डेरा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी एवं पटवारी हल्का डेरा की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट पटवारी हल्का डेरा व तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थी के दादा का सही नाम गिरधारी ही है। इसप्रकार पटवारी हल्का डेरा व तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी के दादा का सही नाम सम्पता के स्थान पर गिरधारी होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि हाल खाता संख्या 67 आराजी खसरा नम्बर 1348/0.15, 1349/0.45 कुल किता 2 रकबा 0.60 है0, खाता संख्या 203 आराजी खसरा नम्बर 1346/0.43, 1347/0.32 कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम सम्पता के स्थान पर गिरधारी दर्ज किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)